

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/एच.पी./01/129/2019/एफ.सी./819

दिनांक: 31/07/2020

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
वन विभाग, टालैंड, शिमला।

विषय : Diversion of 11.9813 ha of forest land in favour of HPSEB Ltd. for the construction of Sai Kothi-II Hydel Electric Project (16.5 MW), within the jurisdiction of Churah Forest Division, Distt. Chamba, H.P (online no. FP/HP/HYD/23837/2017)

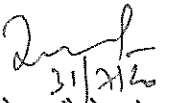
संदर्भ: नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हि०प्र० के पत्रांक एफ.टी. 48-3637/2017 (एफ.सी.ए.) दिनांक 18.07.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है राज्य सरकार यह स्पष्ट करें कि सी.ए. हेतु प्रस्तावित क्षेत्र क्या guideline के Para 2.4 (iii) के अनुसार है अथवा वन विभाग के स्वामित्व की वन भूमि है क्योंकि ऐसे प्रस्तावों पर वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार सी.ए. क्षेत्र का चयन guideline para 2.3 अथवा 2.4(iii) के अनुसार ही होना चाहिये। राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त क्योंकि अब सभी प्रस्ताव e-office के माध्यम से नई दिल्ली प्रेषित किये जाते हैं, इसलिये राज्य सरकार सम्पूर्ण प्रस्ताव की pdf file में soft copy बनाकर इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त Annexure-V राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः राज्य सरकार Annexure-V भी इस कार्यालय में प्रेषित करें।

भवदीय,


31/7/20
(डा० योगेश गौरीला)
तकनीकी अधिकारी